राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5 अभि./सीटीएडी/275(1)/खेल सुविधा विकास/2020–21/ दिनांक :

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/सिरोही ।

विषय : आश्रम छात्रावासो मे खेल सुविधाओ के विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 18625–40 दिनांक 20.07.2021 द्वारा खेल एकेडमी मे खेल सुविधाओ के विकास हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी **राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को** नियुक्त किया गया।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे निम्नलिखित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने उपरान्त निम्न तालिका के कॉलम संख्या–2 मे वर्णित छात्रावासो मे कॉलम संख्या– 5 वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या–7 मे अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

(राशि लाख रू.मे)

क्र.स	खेल छात्रावास स्थान	बालक/ बालिका	प्रशा. स्वीकृति राशि	कार्य का विस्तृत विवरण	तकनीकी स्वीकृति	
					क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
जिला–उदयपुर						
1	खेल छात्रावास सरदारपुरा	बालक	7.00	छात्रावास परिसर सिन्थेटिक बॉलीवाल कोर्ट 1	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 48/31.08.201	8.33
2	खेल छात्रावास खेरवाडा	बालक	40.00	छात्रावास परिसर सिन्थेटिक बास्केट बॉल कोर्ट 2	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 49/31.08.201	45.16
		योग	**47.00**			**53.49**
जिला–डूंगरपुर						
3	खेल छात्रावास पुनाली	बालिका	2.00	छात्रावास परिसर निर्मित बॉसकेट बॉल ग्राउण्ड को अपग्रेड करना एवं हैण्डबॉल कोर्ट का निर्माण करना।	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 50/31.08.2021	2.03
4	खेल छात्रावास तिजवड	बालक	8.00	छात्रावास परिसर 90 70 तथा 30 मीटर रेंज उपलब्ध। केवल शेड का निर्माण।	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 51/31.08.2021	7.64
		योग	**10.00**			**9.67**
जिला–बांसवाडा						
5 (A)	खेल छात्रावास, लोधा	बालक	8.00	छात्रावास परिसर 90, 70 तथा 30 मीटर रेज उपलब्ध। केवल शेड का निर्माण।	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 53/31.08.2021	7.63
(B)			8.00	छात्रावास परिसर मे ट्रेक निर्माण	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 52/31.08.2021	10.44

6	खेल छात्रावास, तलवाडा	बालिका	14.00	छात्रावास परिसर सिन्थेटिक वॉलीवाल कोर्ट–2	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 54/31.08.2021	16.62
7	खेल छात्रावास, घाटोल	बालिका	2.00	छात्रावास परिसर मे डोम तैयार	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 55/31.08.2021	2.14
			14.00	छात्राास परिसर सिन्थेटिक वॉलीवाल कोर्ट–2	EE/RSAMB/ UDAIPUR/ 56/31.08.2021	16.62
		योग	**46.00**			**53.45**
जिला–सिरोही						
8	खेल छात्रावास, सांतपुर	बालक	2.00	छात्रावास परिसर मे मैदान समतलीकरण	EE/RSAMB/ SUMERPUR (PALI)/ 313 /02.09.2021	1.99
9	खेल छात्रावास, आबूरोड	बालिका	14.00	छात्रावास परिसर मे 2 स्थेटिक वालीवाल कोर्ट	EE/RSAMB/ SUMERPUR (PALI)/ 315 /02.09.2021	16.57
			2.00	छात्रावास परिसर मे डोम तैयार	EE/RSAMB/ SUMERPUR (PALI)/ 314 /02.09.2021	2.52
		योग	**18.00**			**21.08**
		महायोग	**121.00**			**137.69**

क्र.स. 4 एवं 5–अ पर अंकित तीरदांजी रेंज 90, 70 एवं 30 मीटर कार्य में गुणवत्ता युक्त मृदा उपलब्ध होने से कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त तकमीने में मृदा कार्य (Excavation and Refilling work) को कम किया जाकर केवल शेड निर्माण कार्य हेतु आवश्यक राशि ही स्वीकृत की गई है।

उपरोक्तानुसार कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–16/2018–19 मे प्राप्त राशि रू. 300.00 लाख मे से स्वीकृत लागत की 80 प्रतिशत राशि रू. 110.152 लाख किये जाने की स्वीकृति जारी की जाती है।

शर्ते–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावें।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. स्वीकृत कार्यो का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य के गुणवत्ता पूर्वक कराने की जिम्मेदारी तकनीकी स्वीकृति जारी कर्ता पदाधिकारियो की होगी।

6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व फोटोग्राफ प्रस्तुत करे। प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित करावे।
8. निर्माण पश्चात् 3 वर्ष तक संवेदक द्वारा आईटम रिपलेस एवं डिफेक्ट सुधार की वारन्टी रहेगी। संवेदक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य का रख–रखाव किया जावेगा।

sd
(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S
आयुक्त

एफ 5 अभि./सीटीएडी/275(1)/खेल सुविधा विकास/2020–21/ 28456-80 दिनांक : 27/09/2021

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा। उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/सिरोही।
4. प्रशासक/अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अजमेर।
6. अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भीलवाडा/उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–16/2018–19 से प्राप्त राशि रू. 300.00 लाख मे से प्रभारित किया जावे। स्वीकृत राशि रू. 137.69 लाख का 0.25 प्रतिशत अर्थात् राशि रू. 0.31 लाख आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के खाते में रखी जावें तथा कार्यकारी एजेन्सी को शेष देय राशि रू. 137.38 लाख का 80 प्रतिशत अर्थात् राशि रू. 109.90 लाख कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरित करे।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. खेल छात्रावास —————— जिला उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/सिरोही
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in